

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.09.2023**

**दहेज हत्या के 03 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देश दिए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0मनकापुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मु0अ0सं0-522/2023, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 01. अमर सिंह 02. जोखू निषाद व 03. राजरानी को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए हत्या किया गया था। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

01. अमर सिंह पुत्र जोखू निषाद निवासी बड़की केवटहिया लिदेहनाग्रंट थाना को0मनकापुर जनपद गोंडा।
02. जोखू निषाद पुत्र स्व0रामकेवल निवासी बड़की केवटहिया लिदेहनाग्रंट थाना को0मनकापुर जनपद गोंडा।
03. राजरानी पत्नी जोखू निषाद निवासनी बड़की केवटहिया लिदेहनाग्रंट थाना को0मनकापुर जनपद गोंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-522/2023, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

उ0नि0 शशांक मौर्या मय टीम थाना मनकापुर गोण्डा।

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 27.09.2023

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में जनपद गोण्डा के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 01, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

#### 01. थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संवारे पुत्र राम सागर निवासी दुलहापुर उम्मेदजोत थाना को0 नगर गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-846/23, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.09.2023**

**बलवा कर जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कटराबाजार पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर बलवा कर जानलेवा हमला करने का आरोपी अभियुक्त सत्यप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है उक्त अभियुक्त ने वादी के भाई को अपने सहयोगियों के साथ एक राय होकर जान मारने की नियत से गोली फायर कर दिया था। जिससे वादी के भाई घायल होकर गिर गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. सत्यप्रकाश पुत्र छोटू निवासी ग्राम कलवारी थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-469/23, धारा 147, 148, 149, 323, 307 भादवि थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

व0उ0नि0 अजय कुमार पाण्डेय मय टीम थाना कटराबाजार गोण्डा।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.09.2023**

**नाबालिग लड़की को बहला फसलाकर भगा ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं से घटित अपराधों में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा दुष्कर्म करने के वांछित अभियुक्त मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. मनोज कुमार पुत्र धन्नालाल निवासी ग्राम पापड़ी नितार्ई थाना चांदपा जनपद हाथरस ।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०सं०-283/23 धारा 363, 366, 376 भादवि 3/4 पाक्सो ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता-**

01. उ०नि० रजनीश कुमार द्विवेदी मय टीम थाना छपिया, गोण्डा

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 27.09.2023**

**मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मिश्र द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्र०नि०/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना कोतवाली कर्नैलगंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 27.09.2023 को क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मारपीट करने के वांछित अभियुक्त रामसरन यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने अपने परिजनों साथ मिलकर पेड़ के बटवारे को लेकर दिनांक 25.09.2023 को वादी के पिता को गाली-गुप्ता देते हुए लाठी-डण्डो, बाँका से मारा पीटकर घायल कर दिया था। जिनका दवा इलाजा के दौरान मृत्यु हो गयी थी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कर्नैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रामसरन यादव पुत्र भिखू निवासी ग्राम कुतुबपुर कांधी थाना को० कर्नैलगंज जनपद गोण्डा

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु०अ०स० 561/2023 धारा 304, 506 भादवि थाना कोतवाली कर्नैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

उ०नि०मनीष कुमार मय टीम थाना कर्नैलगंज गोण्डा।